



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 669 राँची, गुरुवार, 18 कार्तिक, 1945 (श०)
9 नवम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

18 सितम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-32/2018-24161(HRMS)--श्री विशालदीप खलखो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-116/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बानो, सिमडेगा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-(N)856, दिनांक-09.04.2018 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक- 50(i)/जि०ग्रा०, दिनांक 05.10.2017 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया, जिसमें इनके विरुद्ध मनरेगान्तर्गत संचालित कुल 13 योजनाओं में मजदूरी भुगतान लंबित रखने, स्पष्टीकरण की जवाब समर्पित नहीं करने, मजदूरी भुगतान हेतु लागू ई०एफ०एम०एस० के अंगीकरण में लापरवाही तथा मनरेगा के कार्यान्वयन में लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-2858, दिनांक 02.05.2018 द्वारा श्री खलखो से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री खलखो के पत्रांक-483, दिनांक 11.05.2018 द्वारा पूर्व में उनके द्वारा उप विकास आयुक्त, सिमडेगा को पत्रांक-342, दिनांक 24.05.2014 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की प्रति विभाग को उपलब्ध करायी गयी। उक्त स्पष्टीकरण में श्री खलखो द्वारा मुख्य रूप से प्रतिवेदित किया गया कि EFMS प्रणाली से पूर्व मजदूरों को EMR प्रविष्टि के पश्चात् उसके विरुद्ध में Wagelist Generate कर बैंक ड्राफ्ट निर्गत करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, क्योंकि EFMS पद्धति लागू होने पर पुनः उसी MR का प्रविष्टि करना संभव नहीं था। अतः मजदूरी भुगतान भी नहीं किया जा सकता था। बैंक ड्राफ्ट को रद्द कर राशि वापस करने की परिस्थिति में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नयी प्रणाली तथा EFMS द्वारा भविष्य में भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। संबंधित पंचायत सेवक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उल्लेखित योजनाएँ भौतिक रूप से पूर्ण हैं एवं योजनाओं को EFMS में प्रविष्टि कर दिया गया है। केवल भुगतान की राशि उक्त वर्णित DD ड्राफ्ट में संधारित है। अतः किसी प्रकार का गबन एवं राशि का विचलन नहीं किया गया है एवं पूर्ण रूपेण मजदूरों की मजदूरी भुगतान करना ही उनकी मंशा है ।

मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी होने के नाते उनके द्वारा नियमित रूप से मनरेगान्तर्गत कार्यों का समीक्षा एवं अनुश्रवण किया गया है। दिनांक 09.05.2014 को इनके कार्यालय कक्ष में रायकेरा पंचायत के मेटों द्वारा लंबित भुगतान से संबंधित जनकारी उक्त पंचायत के पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक के माध्यम से उनको उपलब्ध करायी गयी। जबकि समाजिक अंकेक्षण जन सुनवाई के दौरान इस प्रकार की कोई शिकायत का उल्लेख नहीं किया गया था ।

उप विकास आयुक्त द्वारा दिनांक 07.03.2014 को आयोजित मनरेगा की मासिक समीक्षा बैठक में लंबित भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जिसके आलोक में उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई कर पत्रांक-438, दिनांक 09.05.2014 द्वारा सूचना उपलब्ध करा दी गई। अतः उनके द्वारा किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती गयी है न ही विलम्ब से सूचना दी गई है।

श्री खलखो के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। उक्त समीक्षा से स्पष्ट है कि EFMS पद्धति लागू होने अर्थात् भुगतान हेतु नई प्रक्रिया अपनाये जाने के कारण तकनीकी कठिनाईयों के फलस्वरूप मजदूरी भुगतान में विलंब हुई है।

अतः समीक्षोपरांत, आरोपी पदाधिकारी श्री विशालदीप खलखो, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बानो, सिमडेगा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उनको भविष्य में सचेत रहने के शर्त के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री विशालदीप खलखो, झां०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	VISAL DEEP KAHLKO 20080400117	श्री विशालदीप खलखो, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बानो, सिमडेगा को भविष्य में सचेत रहने के शर्त के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
